



01234 (का०) 262130
(नि०) 262014

जनता वैदिक कॉलिज

बड़ौत, बागपत-250611

नैक मूल्यांकित 'ए' ग्रेड कॉलिज (3.39/4.00 सी.जी.पी.ए.)

पत्रांक _____

दिनांक 22/05/2024

सत्र 2022 के AQAR प्रारूप के संदर्भ में

2.1.2 section में कुल प्रवेशित छात्रों की आरक्षित श्रेणियों की सूचना दी गई है। इसके संदर्भ में सारणी 2.2 में आरक्षित सीटों का GOI / state govt. से प्रदत्त सहायक दस्तावेज दिया जाना है।

प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई ऑनलाइन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जांच पड़ताल कर महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा किए जाएंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों / संस्थानों में और इसी प्रकार छात्रावासों में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग (दृष्टिविहीन / कम दृष्टि, श्रवण हास / पालन निष्कता, अंग भंग आदि) हेतु कुल 05 प्रतिशत, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित 02 प्रतिशत और भूतपूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत स्थानों पर संबंधित श्रेणियों में क्षेतिज आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जाएगा। यदि अनुसूचित जनजाति में अभ्यर्थी प्रवेश के लिए उपलब्ध नहीं है तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाती के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा। छात्राओं को क्षेतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। 19 प्रतिशत आरक्षण ई० डब्लू० एस० के लिए लागू होगा।

प्रमाणित किया जाता है की शैक्षिक सत्र 2022-23 में सभी प्रवेशित छात्रों का प्रवेश उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार आरक्षण प्रदान किया गया है।

A. A. सिंह

(डॉ० वीरेंद्र प्रताप सिंह)

प्राचार्य
जनता वैदिक कॉलिज
बड़ौत (बागपत)